File No.1-10002(002)/8/2020- -10-

संख्या-727/एक-10-2020-33(06)/2020 टी0 सी0

प्रेषक,

संजय गोयल,

सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

मेरठ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 11 नवम्बर, 2020

विषय:- कोविड-19 के वायरस के संक्रमण से स्व0 बलवीर सिंह, उ0नि0 थाना लिसाडी गेट, मेरठ,अनुचर त्रिलोक सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह व अनुचर मुरकुलिया पुत्र श्री मूंगालाल की ड्यूटी के दौरान मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-104/सी0आर0ए0/दैवी आपदा/2020-21 दिनांक 13.10.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्व0 बलवीर सिंह, उ0नि0 थाना लिसाडी गेट, मेरठ, अनुचर त्रिलोक सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह व अनुचर मुरकुलिया पुत्र श्री मूंगालाल जनपद मेरठ में तैनात थे, जिन्हें कोरोना वायरस (कोविड-19) की संक्रमण से मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रितों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए शासनादेश संख्या-249/एक-11-2020-04(जी)/2015-टी0सी0, दिनांक 11.04.2020 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 150,00,000/- (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, मेरठ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी, अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने की शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0- ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता हैं) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही

भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(3) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्रुसार धन उत्पन्न कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना एवं व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। प्रदत्त धनराशि का पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2021 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाय।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

Digitally signed by संजय गोयल
Date:Tue Nov 10 18:26:38 IST 2020
Reason:Approved

(संजय गोयल)

सचिव।

संख्या-727(1)/एक-10-2020-33(06)/2020 टी0 सी0, तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।

3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।

5- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, मेरठ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।

7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राम केवल)

विशेष सचिव।

11/11/2020

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-11/11/2020

प्रेषण संख्या:- 727

आवंटन आदेश संख्या:- 181-33

अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मेरठ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	15000000 139738000	15000000 139738000
	योग	वर्तमान प्रगामी	15000000 139738000	15000000 139738000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ पचास लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तेरह करोड़ सत्तानवे लाख अड़तीस हजार

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन